# उत्तर प्रदेश सरकार
## उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
## तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग
## लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

## सूचना/विज्ञप्ति

संख्याःपीआरपीबी–अनु.–6–प–06/2015 दिनांकःलखनऊ, नवम्बर29, 2016

रिट याचिका संख्याः 41418/2014 अरविन्द चिकारा व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04–10–2016 के प्रस्तर–11 में दिये गये निर्देश निम्नलिखित हैः–

11. In view of above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case, all the writ petitions are disposed of with directions to the respondent nos. 2 and 3 to look into the grievance of the petitioners for filling up 2312 unfilled vacancies for the post of Constable in U.P. Police Constable & Equivalent Post Direct Recruitment-2013 made in pursuance of the advertisement dated 14.5.2013 (amended on 20.6.2013) and pass an appropriate order in accordance with law and in the light of gazette notification dated 7-4-2016, within a period of two months from the date of receipt of certified copy of this order.

**2–** अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अवधारित करते हुए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याःडीजी–चार–120(10)2013 दिनांकित 14–05–2013, 30–05–2013 एवं 10/11–06–2013 के द्वारा पुलिस आरक्षी के 35500, पत्र संख्याःडीजी–चार–110(41)2009 दिनांकित 12–06–2013 के द्वारा आरक्षी पीएसी के 4033 तथा पत्र संख्याःडीजी–चार–121(13)2009 दिनांकित 20–06–2013 के द्वारा फायरमैन के 2077 कुल 41610 पदों को भरे जाने हेतु प्राप्त अधियाचन के आधार पर आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–एक–1(28)/2013 दिनांकित 14–05–2013 एवं 20–06–2013 प्रकाशित कर चयन की यह कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

**3–** उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–6 में प्रावधान यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण

भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

**4–** उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (समय–समय पर यथा संशोधित)की धारा–3 की उपधारा–(1) के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का तीन प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए, रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए एवं पॉच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा।

**5–** इस अधिनियम–1993 की धारा–3 की उपधारा–(5) के अनुसार जहां उपधारा–(1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षो के लिए अग्रेनीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत मानी जायेगी। अधिनियम–1993 की धारा–3 की उपधारा–(5) के इस उपबन्ध को उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्याः 449/79–वि–1–08–1(क)–7–2008 दिनांक 05 मार्च, 2008 के माध्यम से प्रकाशित 'उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2008' के द्वारा रखा गया था।

**6–** 'उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2008' अधिसूचना की तिथि 05 मार्च, 2008 से प्रभावी था।

**7–** आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 की चयन प्रकिया भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार संचालित की गयी है तथा चयन परिणाम बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–अनु–6–प–06/2015 दिनांक 16–07– 2015 के द्वारा घोषित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गयी है।

**8.1–** भर्ती के समय प्रवृत्त अधिसूचना संख्याः 449/79–वि–1–08–1(क)–7–2008 दिनांक 05 मार्च, 2008 के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण पुलिस आरक्षी के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 577, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 479, अनुसूचित जाति श्रेणी में 373 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 36 कुल–1465 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 144, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 135, अनुसूचित जाति श्रेणी में 138 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 12 कुल–429 पद अग्रेनीत किये गये है।

**8.2–** इसी प्रकार आरक्षी पीएसी के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 100, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 55, अनुसूचित जाति श्रेणी में 42 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 04 कुल–201 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 36, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 22, अनुसूचित जाति श्रेणी में 17 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 02 कुल–77 पद अग्रेनीत किये गये है।

**8.3–** उपरोक्तानुसार ही फायरमैन के भूतपूर्व सैनिक के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 28, अनुसूचित जाति श्रेणी में 22 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 02 कुल–98 तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में 21, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 11, अनुसूचित जाति श्रेणी में 09 एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 01 कुल–42 पद अग्रेनीत किये गये है।

**9**— उत्तर प्रदेश शासन (विधायी अनुभाग—1) की अधिसूचना संख्याः 584/79—वि—1—16—1 (क) 9—2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के माध्यम से प्रकाशित 'उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम—2016' के द्वारा अधिनियम—1993 की धारा—3 की उपधारा—(5) के उपबन्ध को अब निकाल दिया गया है।

**10**— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम—2016' अधिसूचना की तिथि 07—04—2016 से प्रभावी हुआ है।

**11**— इस प्रकार अधिसूचना संख्याः 584/79—वि—1—16—1 (क) 9—2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के 'प्रभाव' में आने तक अधिसूचना संख्याः 449/79—वि—1— 08—1(क)—7—2008 दिनांक 05 मार्च, 2008 'प्रभाव' में रही है।

**12**— आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती—2013 की चयन प्रक्रिया में बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी—अनु—6—प—06/2015 दिनांक 16—07—2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना संख्याः 449/79—वि—1— 08—1(क)—7—2008 दिनांक 05 मार्च, 2008 के आलोक में घोषित किया गया है।

**13**— अधिसूचना संख्याः 584/79—वि—1—16—1 (क) 9—2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 में 'भूतलक्षी' प्रभावी होना अंकित नहीं है तथा शासन के निदेशानुसार उक्त संशोधन जिस दिनांक से अस्तित्व में आया है, उसी दिनांक से प्रभावी होना है, के क्रम में इस चयन परिणाम में अब कोई परिवर्तन विधि सम्मत/समीचीन नहीं है।

29/11/16

**अपर सचिव (भर्ती)**
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।